न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/451

1. रामेश्वर दयाल आत्मज श्री अम्बा शंकर जाति ब्राह्मण निवासी कोटा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रमेश चन्द आत्मज रामेश्वर दयाल जाति ब्राह्मण निवासी एच–21 चम्बल कॉलोनी किशोरपुरा, कोटा ।
   1/2. दिनेश कुमार आत्मज रामेश्वर दयाल जाति ब्राह्मण निवासी सूर्य नारायण मंदिर होली का खूंट बृजराजपुरा कोटा ।
   1/3. महेश कुमार आत्मज रामेश्वर दयाल जाति ब्राह्मण निवासी 968 बसन्त बिहारी कोटा ।
   1/4. चन्द्रावती जोशी पुत्री रामेश्वर दयाल पत्नी रविन्द्र जोशी जाति ब्राह्मण निवासी 571 शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा ।
   1/5. नगेन्द्र बाला पुत्री रामेश्वर दयाल पत्नी गिरिराज किशोर जाति ब्राह्मण निवासी गूढी बाजार नीम का चौहदा बून्दी ।
   1/6. हेमलता पुत्री रामेश्वर दयला पत्नी रविदत्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चूडी बाजार नीमा का चौहटा बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामप्रसाद आयु 45 वर्ष आत्मज श्री जुगल किशोर जाति ब्राह्मण निवासी कोटडी सब्जीमण्डी के पास में डाक्टर पठान के पास नाम मकान जुगल कुटी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. प्रबन्धक, महोदय बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाख नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बोरदा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 542 रकबा 37 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी रामप्रसाद के खातेदारी में दर्ज है जबकि उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी हिस्सा बराबर की कृषि भूमि है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि रही है । प्रतिवादी के नाम उक्त भूमि श्री जुगलकिशोर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में दर्ज हुई है । श्री जुगल किशोर वादी के सगे भाई थे । वादी के पिता की जब मृत्यु हुई थी तब वादी 10 वर्ष का था । इस कारण उक्त भूमि अकेले जुगल किशोर के नाम दर्ज हो गई । वादी आज भी अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है । प्रतिवादी रामप्रसाद के पिता तथा वादी के बडे भाई श्री जुगल किशोर ने दिनांक 05.05.80 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेखित किया था कि उक्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 है तथा उक्त भूमि अम्बाशंकर का बडा पुत्र जुगल किशोर होने से अकेले जुगल किशोर के नाम से दर्ज हो गई जिसमें रामेश्वरदयाल का नाम भी जोडा जावे । इसी आशय का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी ने भी जुगलकिशोर की मृत्यु बाद पेश किया जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 माना है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी में अपना संयुक्त हिस्सा 1/2 घोषित करवाकर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे ।

3. अतः वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/2 घोषित किया जाकर तत्सम्बन्धी समस्त अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जाकर वादी का हिस्सा 1/2 बंटवारा किया जाकर वादी के नाम अकेले दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 के द्वारा वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद का निस्तारण लोक अदालत में अपीलान्ट की सहमति के बिना केवल तहसीलदार नैनवा की उपस्थिति में पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट रामेश्वर के पिता अम्बा शंकर के खाते की थी उसकी मृत्यु हो जाने से उसके दोनों पुत्र अर्थात् अपीलान्ट रामेश्वर एवं रेस्पोडेन्ट रामप्रसाद का पिता जुगल किशोर वादग्रस्त आराजी के 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार एवं काबिज होने से अपीलान्ट द्वारा अपने 1/2 हिस्से की घोषणा का वाद पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान में रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होने के आधार पर अपीलान्ट का वाद खारिज किया है । अपीलान्ट का अपने हिस्से 1/2 पर आज भी कब्जा चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है अपीलान्ट के भाई जुगल किशोर को वादग्रस्त आराजी की तथाकथित वसीयत दिनांक 28.12.1980 रेस्पोडेन्ट रामप्रसाद के हक में निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है जिसमें वादी संभाग से सहखातेदार घोषित होने का अधिकारी है । वादग्रस्त आराजी अम्बा शंकर के खाते से प्रतिवादी के पिता जुगल किशोर के खाते दर्ज हुई है जबकि इसमें वादी को भी 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 में इंतकाल नम्बर 92 का नोट अंकित है जिसके अनुसार आराजी अम्बा शंकर के खाते की है । लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट को बहस करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी जुगल किशोर के खाते की है जिसमें वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे कि आराजी पैतृक प्रमाणित होती हो । न तो आराजी पैतृक है और न ही इसमें वादी सहखातेदार दर्ज है । आराजी जुगल किशोर की स्वअर्जित सम्पत्ति है । किसी भी तरह से वादी अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाये हैं । अधीनस्थ न्यायालय में वादी की साक्ष्य पूरी हो चुकी है । प्रतिवादी के द्वारा साक्ष्य पेश की गई है और अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं अतः निर्णय पारित किया गया है । वादीगण अपीलान्ट रामप्रसाद के प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.1980 का कथन करते हैं परन्तु यह दस्तावेज असल पेश नहीं किया गया है वरन् फोटो प्रति पेश की गई है जिसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता। यह दस्तावेज कूट रचित है । रामप्रसाद के द्वारा ऐसी कोई सहमति नहीं दी गई है और सहमति होने पर भी बिना विधिक दस्तावेत से वादी को 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2010–13 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार कॉलम संख्या 04 में जुगल किशोर वल्द नन्दकिशोर माफी चौथनी अंकित है और इंतकाल नम्बर 92 का नोट अंकित है जिसमें पिता नन्द किशोर के बजाय अम्बा शंकर का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है । नकल जमाबन्दी संवत् 2016–19 प्रदर्श–2 के अनुसार आराजी जुगल किशोर वल्द अम्बाशंकर के खाते में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2017–20 पेश की गई है जिसमें आराजी जुगल किशोर वल्द अम्बाशंकर के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2020–23 प्रदर्श– 3 के अनुसार आराजी जुगल किशोर वल्द अम्बाशंकर के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2051–54 प्रदर्श– 4 के अनुसार रामप्रसाद वल्द जुगलकिशोर के खाते में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2029 से 2032 संलग्न है ।

10. बयान वादी रमेशचन्द पीडब्ल्यू–1, मोरपाल पीडब्ल्यू–2, रमेश चन्द पुत्र प्रभूलाल पीडब्ल्यू–3 कराये गये हैं ।

11. बयान प्रतिवादी रामप्रसाद डीडब्ल्यू–1, कैलाश डीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

12. पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड पेश किये गये हैं उसके अनुसार आराजी जुगल किशोर के खाते में दर्ज है । अम्बाशंकर के खाते की नकल जमाबन्दी पेश नहीं की गई है । इस प्रकार वादी वादग्रस्त आराजी को पैतृक सिद्ध करने में सफल नहीं हुए हैं । वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । वादी अपीलान्ट के विद्धान् अभिभाषक ने नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 में अंकित नोट के आधार पर यह कथन किया है कि इंतकाल संख्या 92 के नोट के अनुसार आराजी अम्बाशंकर के खाते दर्ज थी इस क्रम में इंतकाल संख्या 92 के नोट का अवलोकन किया गया । उक्त नोट के अनुसार जुगल किशोर के पिता नन्दकिशोर की बजाय अम्बाशंकर का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है । इस प्रकार जुगल किशोर के पिता का नाम नन्दकिशोर से अम्बाशंकर दर्ज करने की स्वीकृति हुई है, इससे आराजी अम्बाशंकर के खाते की होना प्रमाणित नहीं होता है ।

13. वादी के बयान पीडब्ल्यू–1 का अवलोकन किया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने अम्बाशंकर के खाते की नकल पेश की या नहीं बता नहीं सकता । अम्बाशंकर के खाते की नकल मैंने नहीं देखी । इस प्रकार वादी अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । जहॉ तक प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारण करने का प्रश्न है पत्रावली पर वादी की शहादत सम्पन्न हो चुकी थी । प्रतिवादी के विद्धान् अभिभाषक ने दौराने बहस यह कथन किया कि वो अन्य शहादत पेश नहीं करना चाहते थे । वादी के विद्धान् अभिभाषक को दौराने बहस अपने पक्ष के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश करने हो तो पेश करने का अवसर दिया गया परन्तु उनके द्वारा दौराने बहस कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये और उनकी बहस पर मनन किया जा चुका है ।

14. इन समस्त तथ्यों के आधार पर वादी अपना दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाये हैं जबकि वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 14.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/451

1. रामेश्वर दयाल आत्मज श्री अम्बा शंकर जाति ब्राह्मण निवासी कोटा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 1/1. रमेश चन्द आत्मज रामेश्वर दयाल जाति ब्राह्मण निवासी एच–21 चम्बल कॉलोनी किशोरपुरा, कोटा ।
   - 1/2. दिनेश कुमार आत्मज रामेश्वर दयाल जाति ब्राह्मण निवासी सूर्य नारायण मंदिर होली का खूंट बृजराजपुरा कोटा ।
   - 1/3. महेश कुमार आत्मज रामेश्वर दयाल जाति ब्राह्मण निवासी 968 बसन्त बिहारी कोटा ।
   - 1/4. चन्द्रावती जोशी पुत्री रामेश्वर दयाल पत्नी रविन्द्र जोशी जाति ब्राह्मण निवासी 571 शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा ।
   - 1/5. नगेन्द्र बाला पुत्री रामेश्वर दयाल पत्नी गिरिराज किशोर जाति ब्राह्मण निवासी गूढी बाजार नीम का चौहदा बून्दी ।
   - 1/6. हेमलता पुत्री रामेश्वर दयला पत्नी रविदत्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चूडी बाजार नीमा का चौहटा बून्दी ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. रामप्रसाद आयु 45 वर्ष आत्मज श्री जुगल किशोर जाति ब्राह्मण निवासी कोटडी सब्जीमण्डी के पास में डाक्टर पठान के पास नाम मकान जुगल कुटी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. प्रबन्धक, महोदय बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाख नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 30/दावा/2002

1. रामेश्वर दयाल आत्मज श्री अम्बा शंकर जाति ब्राह्मण निवासी कोटा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1/1. रमेश चन्द आत्मज रामेश्वर दयाल जाति ब्राह्मण निवासी एच–21 चम्बल कॉलोनी किशोरपुरा, कोटा ।

1/2. दिनेश कुमार आत्मज रामेश्वर दयाल जाति ब्राह्मण निवासी सूर्य नारायण मंदिर होली का खूंट बृजराजपुरा कोटा ।

1/3. महेश कुमार आत्मज रामेश्वर दयाल जाति ब्राह्मण निवासी 968 बसन्त बिहारी कोटा ।

1/4. चन्द्रावती जोशी पुत्री रामेश्वर दयाल पत्नी रविन्द्र जोशी जाति ब्राह्मण निवासी 571 शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा ।

1/5. नगेन्द्र बाला पुत्री रामेश्वर दयाल पत्नी गिरिराज किशोर जाति ब्राह्मण निवासी गूढी बाजार नीम का चौहदा बून्दी ।

1/6. हेमलता पुत्री रामेश्वर दयला पत्नी रविदत्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चूडी बाजार नीमा का चौहटा बून्दी ।

––वादी

बनाम

1. रामप्रसाद आयु 45 वर्ष आत्मज श्री जुगल किशोर जाति ब्राह्मण निवासी कोटडी सब्जीमण्डी के पास में डाक्टर पठान के पास नाम मकान जुगल कुटी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. प्रबन्धक, महोदय बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाख नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.05.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से अभिभाषक श्री अशोक कुमार गुप्ता के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 14.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

14/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा